जस्दी सं. जी.ए.स. - 33004/93

REGD, NO. D.L.-33004/93



असाधारण EXTRAORDINARY

PART II-Section 3-Sub-section (i)

झाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई फिल्सी, शनिवार, जुलाई 31, 1993/अंविण 9, 1915

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1993/SRAVANA 9, 1915 No. 258]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

and the second

(महिला और बाल विकास विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 527(ग्र):-केन्द्रीय सरकार, शिशु द्रग्ध ग्रनुकल्प, पोवण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1993 के अगस्त मास के प्रथम दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त ग्रम्निनियम प्रवृत्त होगा ।

[सं. फा. 12-1/93-एन. टी.]

मीनाकी। आनन्द चौधरी, संयुक्त सचिव

1714 GI/93

(Department of Women and Child Development)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st July, 1993

G.S.R. 527(E) .- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby appoints the first day of August, 1993 as the date on which the said Act shall come into force.

> [No. F-12-1/93-NT] MEENAXI ANAND CHAUDHRY. Jt. Secv.

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1994

सा. का. नि. 528(म्र):--केन्द्रीय सरकार, झिझ् दुग्ध अनुकल्प, पोलण कोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण वितियनन) अधिनियम, 1992 (1992

(1)

[PART II-SEC. 3(i)]

का 41) की धारा 26 की उपधारा (1) दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:----

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) नियम, 1993 है।
- (2) ये शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) के प्रारम्भ की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 परिभाषाएं:---(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सरकार का कोई अधिकारी जो वर्ग 1 (समूह "क" या चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की पंक्ति से नीचे का न हो ।
- (ग) "खाद्य निरीक्षक" से खाद्य अपमिश्रंण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की घारा 9 के अधीन सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में हैं।

3. खाद्य निरीक्षकों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं----खाद्य निरीक्षकों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं वे होंगी जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) के अधीन उनको समनुदिष्ट की गई हैं।

4. प्राधिकृत अधिकारी:---(1) सरकार का कोई अधिकारी राज्य सरकार द्वारा धारा 12 के अधीन तब तक प्राधिकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह---

(क) किसी स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी न हो; या (ख) आयुर्विज्ञान में स्तातक न हो और उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) के अधीन खाद्य निरीक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमोदित खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में कम सें कम एक सास का प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्त में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगी ।

5. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों या उपस्करों और उनसे संबंधित सामग्री के स्वास्थ्य देखरेख तंत्र के माध्यम सें संदान और वितरण के लिए शर्ते और निबन्धन—कोई भी संस्था, संगठन या निजी व्यवसाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो माताओं, शिशुओं या गर्भवती स्त्रियों के स्वास्थ्य की देखरेख में लगा हुआ है, शिशु दुग्ध अनुकल्पों या पोषण बोतलों से संबंधित किन्हीं शिक्षात्मक या अन्य सूचनात्मक अयवा संसूचना संबंधी साधनों का निम्नलिखित शर्त और निबंधनों का अनुपालन किए बिना संदान या वितरण नहीं करेगा अर्यातः---

- (क) दाता को निम्नलिखित के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए---
 - (i) स्तनपोषण का संवर्धन करने की आवश्यकता;
 - (ii) माता के दूध की पोषाहारीय उत्तमत;
 - (iii) स्तन के दूध के फायदे प्रयत्ति स्तन का दूध---
- (क) शिशुओं के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक खाद्य है,

(ख) सदा स्वच्छ है,

- (ग) शिशु की संक्रम और रोगों से रक्षा करता है,
- (घ) सदा उपलब्ध है,
- (ङ) विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता महीं है;
 - (iv) स्तन पोषण माता पिता को संतानों के भन्म में अंतर रखने में सहायता करता है।
 - (v) बोतल पोषण में सूक्ष्मजीवाणु संदूषणों का खतरा अंतर्वलित होता है । पोषण व्रोतलों से संबंधित सूचनात्मक या - शिक्षात्मक उपस्कर या

[साग-II---खंड 3(i)]

(ख) शिशु दुग्ध अनुकल्पों या सामग्री का संदान या वितरण केवल उस मामले में किया जाना चाहिए जिसमें वह किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा शिशु के स्वरंध्य विकास के लिए ग्रावश्यक पाया जाए।

6. सूचना की भाषा और घोषणा की अन्य विशिष्टियां:--

(1) कोई भी व्यक्ति किसी शिष्ठ दुग्ध अनुकल्प या शिष्ठा खाद्य का उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके आधान पर या उस पर चिपके हुए किसी लेबल पर स्पष्ट, सहजदृष्य और ग्रासानी से पढ़े जाने योग्य और समझी जाने वाली रीति में बड़े ग्रक्षरों में अंग्रेजी और देवनागरी लिपि में उसका पर्याय हिन्दी में "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द उपर्दाशत न हों; परन्तु इसमें की गई बात इस उपनियम के ग्रधीन प्रयोग की जाने के लिए अपेक्षित भाषा के ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्थ स्थानीय भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी ।

2. खाद्य ग्रपमिश्रिण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लेबल पर विनिदिष्ट की जाने वाली घोषणा की विशिष्टियां अंग्रेजी में या देवनागरी लिपि में हिंदी में होंगी; परन्तु इसमें की कोई बात इस उपनियम के अधीन प्रयोग की जाने के लिए अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी ।

7. शिशुं खाद्यों पर लेबल लगाने संबंधी विशिष्टियां— खाद्य ग्रपश्चिण निवारण अधिनियम, 195 (1954 का 37) द्वारा या उसके ग्रधीन और घ्रधिनियम की धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के ग्रतिरिक्त प्रत्येक शिशु दुग्ध या शिशु दुग्ध अनुकल्पों के लेबल या आधान या उनकें विज्ञापन निम्नलिखित के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

- (क) प्रयुक्त ग्रक्षरों के टाइप आकार में 5 मिली मीटर से कम नहीं होंगे ।
- (ख) मुद्रित या प्रयुक्त पाठ का रंग यथास्थिति लेबल आधान या विज्ञापन की पृष्ठभूमि के रंगसे भिन्न होगां ।
- (ग) पाठ की विशिष्टियाँ लेबल, आधान या विज्ञापन के केन्द्रीय भाग में प्रमुख और सहजवृश्य होनी चाहिए ।

(घ) इसमें यह उपदर्शित होगा---

(i) बतनों, बांतलों और निपुलों की सफाई में पर्याप्त सावधानी बरतने के प्रलावा शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु दुग्ध खाद्य को उचित रूप से और स्वच्छ रूप से तैयार किया जाना चाहिए। (ii) ग्रनुपयुक्त रूप से तैयार करने के स्वास्थ्य परि-संकट के विरूद निम्नानुसार चेतावनी:—

"शिश दुग्ध अनुकल्प/शिश खाद्य

चेतावती/सावधाती----शिशु खाद्य सावधानीपूर्वक और स्वच्छतापूर्वक तैयार करना स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। निर्दिष्ट स्कूप से कम प्रयोग न करें, क्योंकि हल्के पोषण से आपके शिशु के लिए अपेक्षित पर्याप्त पोषक तत्व नहीं उपलब्ध होंगे । निर्दिष्ट स्कूप से अधिक का प्रयोग न करें क्योंकि गाढ़े पोषण से आपके शिशु के लिए अपेक्षित जल उपलब्ध नहीं होगा ।"

- (iii) उत्पाद के प्रति 100 ग्राम पोषकों का, जिसके अंतगैत उसकी कैलोरी में ऊर्जा मान भी है, अन्मानित मिश्रण ।
- (IV) भंडारण झर्तों में विनिर्दिष्ट रूप से "वायुरोधी आधार' में ठंडे और शुष्क स्थान में रखें" या इसी प्रकार उल्लेख किया जाए ।
- (v) पोषण चार्ट और प्रयोग के लिए निर्देश तथा छोड़े हुए पोषण को निकाल फैंकने के लिए अनुदेश, बैच संख्यांक तथा विनिर्माण की तारीख ।
- (vi) मापक स्कूप (समान या ढेर) के प्रयोग के लिए अनदेश और प्रति स्कूप मात्रा ।
- (vii) विहित अवधि जिस तक, युथास्थिति, शिशु दुग्ध ग्रनुकल्पों या शिशु खाद्य का उपयोग किया जाना है ।
- (viii) प्रोटीनता अनुपात जो उस दशा में न्यूनतम 2.5 होगा, यदि शिशु दुग्ध अनुकल्पों और शिशु खाद्यों से भिन्न उत्पाद के बारे में यह दावा किया गया है कि उसमें उच्च क्वालिटी की प्रोटीन है।

8. विशिष्टियां जो लेबल, आधान या विज्ञापन में नहीं होने चाहिए--- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति लेबल, डिब्बे या विज्ञापन पर किसी भी भाषा में शब्दों के प्रयोग पर निम्नलिखित निर्बंधन लागू होंगे:---

(क) लेबलं, आधान या विज्ञापन में अधिनियम या इन नियमों का कोई निर्देश या उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी अथवा अधिनियम या इन नियमों में से किसी नियम द्वारा अपेक्षित कोई निर्देश या किसी विधिष्टी का स्पष्टीकरण या घोषणा लेबल में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिससे कि ऐसी विधिष्टीयां या घोषणा प्रत्यक्षतः या उसके प्रभाव से खण्डित, सीमित या संशोधित हों ।

3

(व) स्तल का दूध तैमार करने के लिए जल या बतैनों (जिनमें कीटाजु हो सकते हैं) या ईधन की आवध्यकता नहीं होती हैं।

(3) स्तन का दूध शिक्षु हुम्ध झमुकल्प में पोषण करने को तुलना में अधिक सस्ता है क्योंकि मां के लिए अभेसित. अतिरिक्त खाद्य की लागत जिम्रु दुग्ध अनुकल्प को लागत की सलिता में कही कम होती है।

(4) जो माताएं स्तत पोषण कराती है उत्तमे बच्चों को जन्म हेने की म्रवधि स्ततपोवण न कराने वाली माताओं के बच्चों के जन्म मन्तराल की म्रवधि मपेक्षाइत मधिक होती

-: ई तछीलित्तिनी ग्रिंग क तबंस क गयांग तत्त्व (छ)

(I) 长田山山山山

- (क) प्रसन के तुरंत पश्चात्त गभीश्वय का सिकुड़न करता है और माता को अपने शरीर को पुन: चुस्त-द्रस्त रखमे में सहायता मिलतो है।
- (ख) जब स्तानगोषण सफल होता है तब थिए मराने मां का दूध पीता है और मां भी स्तानोषण कराने की इच्छा में विष्वस्त-होती है।

(2) स्तनपोषण के संवर्धन और समर्थन के लिए साताजों की स्तनपोषण की स्वासाविक इच्छा की प्रतितिति करने के लिए जब आवध्यक हो व्यावहारिक सलाह दो जाए कोर यह सुनिष्रिच्त किया जाए कि ऐसा करने के लिए उसे उनके नातेवारों का समर्थन है।

की के स्वमास (3) गद्रांत्रस्य के दोरान स्तनों और चूलको की विग्रेष हेखभास।

(4) यह भी ग्रावश्यक है कि जन्म के पण्चति यथा-संभव ग्रीघ शिश्व को स्तन से लगा सिया जाना चाहिए।

(5) जन्म के पश्चात् माता और शिश्च को एक माथ रहना चाहिए, माता और शिश्च दोनों को एक माथ रहने के शिए भनुषात किया जाना चाहिए (भस्पतास में, इसे हिए भनुषात किया जाना चाहिए (भस्पतास में, इसे

इक मिमड़ लीगिफ गांग विया जाय लिए हिमी (6) की की हिंदे होते होती रोगी रोगी की स्वार्भ की कि को को की तरक के कुछ है। हेरक प्रकार के कुछ है। है।

(7) खोस को मिकाल फैकने और जीनो वृक्त जल, संस्त जन, मक्खन या खोस को बुहतापूर्वक हतीत्साहित तैयार को नई वस्तु देने की प्रथा को बुहतापूर्वक हतीत्साहित किया जाना जाहिए।

> (ख) किसी भी लेदल, आधान या विज्ञापन में ऐसे जब्दों का प्रयोग नहीं होगा जिल्ला यह डार्थ हो कि "चिकिस्सा चुनिक डारा सिफारियो हाया सिफारिया, हो जयवा जिसले यह स्पष्ट हो या यह मुझान हो कि खाद्य विकिस्या व्यवसायियो हारा सिफारिया, हो कि खाद्य विकिस्या व्यवसायियो हारा सिफारिया,

- (म) लेवल, भाषान या विज्ञापन पर किली मो भाषा में म्राब्द "मॉनवत्ते" था "मात् वत" अथवा इस तरह में नोई भी म्राभिव्यक्ति तहों होगी।
- (व) प्रियु खांध के फिसी भी खेबल, आधान या विद्यापन पर फिसी भी भाषा में 'पूर्ण प्रोटोन युक्त खादा'', ''उजीयुक्त खादा'' प्रपूर्ण खादा'' या ''स्वास्थ्य वहांक खादा'' प्रथा तरह की कोई ''स्वास्थ्य वहांक खादा'' प्रथा तरह की कोई

9. गिस्ता या सांस लासग्री के माध्यम से गर्सवती के मिस्तयों या विषयु की माताओं के लिए आश्वायत सूचना के मिह्तयों या विषयु की माताओं के लिए आश्वायत सूचना के ब्योरे—(1) गर्यवतो स्तियों और जियु को स्वाताओं के लिए जस्मपूर्व और जियु को देखभाल और पोषण से संवता के संवता को र पोषण के संवता को र पोषण के संवता को र पोषण हे के संवता अगर पाय गरे को संवता को र पोषण के संवता को र पोषण हे संवता को र पोषण के संवता को र पोषण के संवता का राज हो, सारा र को वयसारा (1) के खंड रूप्य संवता अवता हो, सारा र को वयसारा (1) के खंड रूप्य संवता अवता हो, सारा र को वयसारा (1) के खंड रूप्य संवता अवता हो, सारा र र को वयसारा (1) के खंड र स्वाता का संवता का संवता का हो, सारा र को व्यवसारा (क) के (व) के संवता के संतितित संवता का संवता का संतरा का स संतरा का संतरा का

ींक की गिमलेस के लिंग और और में लिंग की लिंग की लिंग की लिंग के मांग के लिंग के ल

(1) प्रसव के तुरंत पश्चात् स्ता का दूध पीलापन लिए हुए और गाढ़ा पदार्थ होता है। इस दुग्ध को खीस (स्लोस्ट्र्म) कहते हैं जो जस्म के प्रथम मप्ताह के चौरान (स्लोस्ट्र्म) कहते हैं जो जस्म के प्रथम मप्ताह के चौरान गिपलिएंग होता है स्थॉकि इसमें प्रोटोन प्रधिक, प्रधिक रोग पोषाहारीय होता है स्थॉकि इसमें प्रोटोन प्रधिक, प्रधिक रोग वोराधिक गुग होते हैं जिसका नवजात शिश्वजों को संजामक रोगों के विख्द्य बचाव करने में बहुत महत्व होता है। इसमें रोगों के विख्द्य बचाव करने में बहुत महत्व होता है। इसमें रोगों के विख्द्य बचाव करने में बहुत महत्व होता है। इसमें

-: इन्ने का हुन्न (2)

- रिंग् ने सिंग गुम विरिणमस्तम में वहू के लिस (छ) विद्यु के प्रमिन्न में सिंगम कारीग्रेय कि विवि हिरुक

। ई रामजुर स्वया जपसंख रहता है।

[PART II-SEC. 3(i)]

(भाग-11----खंड 3(i)]

भारत का राजपच : यसाधारण

(8) शिंशुओं की इच्छा पर स्तनपोषण करने दिया जाए।

(9) जब भी शिशु रोये उसें स्तन पोषण करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए।

 (10) माता को अपने और शिशु के शरीर तथा कपड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए।

[मं. फा. 12-1/93-एन.टी.]

मीनाक्षी ग्रानन्द चौधरो, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 31st July, 1993

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of commencement of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992).

2. Definitions.--(1) In these rules, unless the context otherwise requires,---

- (a) "Act" means the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992);
- (b) "authorised officer" means an officer not below the rank of a Class I (Group A or whatever name called) officer of the Government duly authorised by the State Government under section 12;
- (c) "Food inspector" means a person appointed by the Government as such under section 9 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954);

(d) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Local limits of jurisdiction of food inspectors.—The local limits of jurisdiction of food inspectors shall be the same as are assigned to them under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

4. Anthorised officers.--(1) No officer of the Government shall be authorised by the State Government under section 12 unless he is---

- (a) a medical officer in charge of health administration of a local area; or
- (b) a graduate in medicine and has received at least one month's training in food inspection and sampling work approved for the purpose of food inspection under the Prevention of Food Adultaration Act, 1954 (37 of 1954) by the Central Government of a State Government.

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, define the local limits of jurisdiction of authorised officers.

5. Conditions and restrictions for donation and distribution of infant milk substitutes, feeding bottles or equipments and materials relating to them through health care system.—No institution, organisation or health worker in private practice, engaged in health care for mothers, infants or pregnant women, shall donate or distribute any educational or other informational or communication aids relating to infant milk substitutes or feeding bottles without complying with the following condition, and restrictions, namely :—

- (a) the donof should be informed in writing on-
 - (i) the need for promoting breast teading;
 - (ii) the nutritional superiority of mother's milk ;
- (iii) the benefits of breast milk, that is to say that breast milk, is an additional of the breast milk.
 - (A) the best natural food for infants;
 - (B) always clean;
 - (C) protects the infant from infection and diseases;
 - (D) available always ;-
 - (E) requires no special preparation;
- (iv) that breast feeding helps parents to space their children.
- (v) the danger of microbial contaminations involved in bottle feeding.
- (b) informational or educational equipment or material relating to infant milk substitutes or feeding bottles should be donated or distributed only in case it is found necessary for healthy growth of the infant by a medical practitioner.

6. Language of the notice and other particulars of declaration.—(1) No person shall produce, supply or distribute any infant milk substitute or infant food upless the container thereof or any label affixed thereto indicate in a clear, conspicuous and in an easily readable and understandable manner the words "IMPORTANT NOTICE", in capital letters in English and its equivalent in Hindi in Devnagri script:

Provided that nothing herein contained shall prevent the use of any local language in addition to the language required to be used under this sub-rule.

5

[PART II-SEC. 3(i)]

(2) The particulars of declaration to be specified on the label under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the rules made thereunder shall be in English or in Hindi in Devnagri script:

Provided that nothing herein cotnained shall prevent the user of any language in addition to the language required to be used under this sub-rule.

7. Particulars of labelling of infant foods.—In addition to the requirements specified by or under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and under section 6 of the Act, the label or the container of every infant milk or infant food substitute or their advertisements shall conform to the following, namely :—

- (a) the types of letters used shall not be less than 5 millimetres in size.
- (b) the colour of the text printed or used shall be different from that of the background of the label, container of the advertisement, as the case may be.
- (c) the text of the particulars shall be prominent and conspicuous in the central panel of the label, container or the advertisement.
- (d) it shall indicate---
- (i) that an infant milk substitute or an infant unilk food should be prepared appropriately and bygienically besides taking adequate care in cleaning of utensils, bottles and teats.

"Infant milk substitutes/Infant Boods

- "Warning/caution—Careful and hygienic preparation of infant food is most essential for health. Do not use fewer scoops than directed, since diluted feeding will not provide adequate nutrients needed by your infant. Do not use more scoops than directed since concentrated feed will not provide the water needed by your infant."
- (iii) the approximate composition of nutrients per 100 grams of product including its energy value in calories.
- (iv) the storage conditions specifically stating "Store in cool and dry place in an air-tight container" or the like:
- (v) the feeding chart and direction for use and instruction for discarding left over feed; the batch number and date of manufacture.
- (vi) instructions for use of measuring scoop (level or heaped) and the quantity per scoop.
- (vii) the prescribed period by which the infant milk substitutes or the infant food as the case may be, is to be consumed.
- (viii) the Protein Efficiency Ratio (PER) which shall be minimum of 2.5 if the product other than the infant milk substitutes and infant foods is claimed to have high quality protein.

8. Particulars which a label, container or an advertisement should not contain.—Without prejudice to the requirements under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the rules made thereunder, the following restrictions on use of words in any language on the label, container or advertisement, as the case may be, shall be applicable :—

- (a) the label, container or <u>advertisement</u> shall not contain any reference to the Act or these rules or any comment on, or reference to, or explanation of any particulars or declaration required by the Act or any of these rules to be included in the label which directly or by implication, contradicts, qualifies or modifies such particulars or declaration.
- (b) no words implying "recommended by the medical profession" or any words which imply or suggest that the food is recommended, prescribed or approved by medical practitioners shall be used in a label, container or advertisement.
- (c) the label, container or advertisement shall not contain the terms "Humanised" or "Maternalised" or any other similar expressions in any language.
- (d) No label, container or <u>advertisement</u> of infant food shall exhibit the words "Full Protein Food", "Energy Food", "Complete Food" or "Health Food" or any other similar expressions in any language.

9. Details of information intended to reach pregnant women or mothers of infants through education or other material.—(1) Every educational or other material, whether audio or visual, dealing with pre-natal or post-natal care or with the feeding of an infant and intended to reach pregmant women and mothers of infants shall, besides the information specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 7, shall include:

(a) the following details of advantages, as also nutritio-

(i) Immediately after delivery, breast milk is yellowish and sticky. This milk is called colostrum, which is secreted during the first week of delivery. Colostrum is more nutritious than that of mature milk because it contains more protein, more anti-infective properties which are of great importance for the infant's defence against dangerous neonatal inflections. It also contains higher levels
of. Vitamin 'A'.

(ii) breast milk-

- (A) is a complete and balanced food and provides all the nutrients needed by the infant in the first few months of its birth;
 - (B) has anti-infective properties that protect the infants from infection in the early months;
 - (C) is always available;
 - (D) needs no utensils or water (which might carry germs) or fuel for its preparation;
 - (iii) breast feeding is much cheaper than feeding infant milk substitutes as the cost of the extra food needed by the mother is negligible compared to the cost of feeding infant milk substitutes;

- उप डि i)]

04/93

by ites, ion, tral 993

(T)

ŦŢ.

2

) mothers who breast feed usually have longer periods of infertility after child birth than nonlactators.

- b) details of management of breast feeding, as under :---
- i) breast feeding-
 - (A) immediately after delivery englies the contraction of the womb and helps the mother to regain her figure quickly;
 - (B) is successful when the infant suckles frequently and the mother wanting to breast-feed is confident in her ability to do so.
- (ii) in order to promote and support breast feeding the mother's natural desire to breast feed should always be encouraged by giving, where needed, practical advice and making sure that she has the support of her relatives.
- (iii) adequate care for the breast and nipples should be taken during pregnancy.
- (iv) it is also necessary to put the infant to the breast as soon as possible after delivery.

- (v) let the mother and the infant stay together after the delivery, the mother and her infant should be allowed to stay together (in hospital, this is called "rooming-in").
- (vi) give the infant colostrum as it is rich in many nutrients and anti-infective factors protecting the infants from infections during the few days of its birth.
- (vii) the practice of discarding colostrum and giving sugar water, honey water, butter or other concoctions instead of colostrum should be very strongly discouraged.

(viii) let the infants suckle on demand.

- (ix) every effort should be made to breast feed the infants whenever they cry.
- (x) mother should keep her body and clothes and that of the infant always neat and clean.

[No. F. 12-1/93-NT] MEENAXI ANAND CHAUDHRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri. New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993